

व्यापार संगठनों ने राजस्थान सरकार से नविश नीतियों में बदलाव करने का आग्रह किया चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान में व्यापार निकायों ने राज्य को नविशक-अनुकूल बनाने के लिये राजस्थान नविश प्रोत्साहन योजना (RIPS) और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) जैसी नीतियों को बदलने का अनुरोध किया।

मुख्य बट्टि:

- RIPS नीति में नविशकों को **राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST)**, वदियुत शुल्क, भूमिकर, स्टांप शुल्क आदिपर सबसडिी मलिली है।
- MLUPY योजना राज्य में उद्यमों की स्थापना को सुवधिलजनक बनाने और रोजगार सृजन के लिये रलियलती बैंक ःरण प्रदलन करती है।
- **एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)** के एक प्रतनिलधिलमिंडल ने राजस्थान के प्रमुख सचलवल, उद्योग और वलणजिय से मुललकलत की।
 - इसमें बतलया गया है कल RIPS के तहत **ब्याज ललभ सलवधल ःरण पर उपलबध थे, लेकनल कर्यशील पूंजी ःरण पर नहीं।**
 - प्रतनिलधिलमिंडल ने योजनाओं के बारे में **उद्योग-व्यापी जलगरूकतल कर्यकरम चललाने कल अनुरोध कलया।**
 - इसने यह भी अनुरोध कलया कल **भंडलरण कषेत्तर को उद्योगों के पूरवलवलोकन के तहत कवर कलया जलए।**

राजस्थान नविश प्रोत्साहन योजना (RIPS)

- राज्य में तीव्र, सतत एवं संतुललतल औद्योगकल वकलस को बढवल देने के लयल **17 दसलंबर, 2019** से 'राजस्थान नविश प्रोत्साहन योजना-2019' ललगू की गई।
- इसमें वनलरलमलण और सेवा कषेत्तर के उद्योगों में नए नवलश के लयल **7 वरष के SGST**, वदियुत कर स्ललमप ड्युटी कल **75% रचलरज** भी कलया जल रहा है।
 - इसके सलथ ही मंडी शुल्क में 100 फीसदी जैसी रललयतें भी दी जल रही हैं।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)

- यह योजना राज्य में उद्यमों की स्थापना को सुवधिलजनक बनाने और सलमलज केसभी वरगों को रोजगार सृजन के नए अवसर प्रदलन करने के लयल **वतिलीय संसथलनों के मलधुयम से रललयलती ःरण प्रदलन करने** के उददेश्य से शुरू की गई है।
- योजना के तहत वतिलीय संसथलनों जैसे (रलषटरीयकृत वलणजियकल बैंक, नजली कषेत्तर के अनुसूचतल वलणजियकल बैंक, अनुसूचतल लघु वतिलीय बैंक, कषेत्तरीय ग्रलमीण बैंक, राजस्थान वतिलीय नलगल, सडलबी एवं शलहरी सहकलरी बैंक) के मलधुयम से वनलरलमलण, सेवा और वुवलवसलर्यकल उद्यमों के लयल ःरण प्रदलन कलया जलएगल।